न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2023 G.C.M.S. No. 2023/252 दर्ज दिनांक : 08.09.2023

अपीलार्थिगण:

1. ढेलीदेवी पत्नि केसा उम्र 69 वर्ष
2. जब्बरसिंह पुत्र केसा के का.मु.–
   2/1 झीणीदेवी पत्नि जब्बरसिंह
   2/2 ईश्वर पुत्र जब्बरसिंह
   2/3 संगीता पुत्री जब्बरसिंह
   2/4 शीतल पुत्री जब्बरसिंह
3. रमेशकुमार पुत्र केसा
4. उत्तमसिंह पुत्र भंवरलाल जातियान पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।
5. पोनी पुत्री केसा पत्नि भोपजी, उम्र 50 वर्ष जाति पुरोहित, निवासी सायला, जिला जालोर।
6. बदामीदेवी पुत्री केसा पत्नि चेनाजी, उम्र 45 वर्ष, जाति पुरोहित निवासी सायला हाल थलवाड़ तहसील सायला जिला जालोर।
7. सूरजदेवी पुत्री केसा पत्नि चेलाराम, उम्र 43 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रिकबचंद पुत्र भूरमल जाति सोनी निवासी सायला के का.मु.–
   1/1 पवनीदेवी पत्नि रिकबचंद
   1/2 नरेश पुत्र रिकबचंद
   1/3 प्रकाश पुत्र रिकबचंद
   1/4 ललित पुत्र रिकबचंद
   1/5 कमलेश पुत्र रिकबचंद
   1/6 नीतू पुत्री रिकबचंद
   1/7 निरमा पुत्री रिकबचंद
   1/8 मनीषा पुत्री रिकबचंद
2. मूलचंद पुत्र भूरमल जाति सोनी निवासी सायला जिला जालोर।
3. मथरादेवी पत्नि सवा जाति पुरोहित
4. मदनलाल पुत्र सवा जाति पुरोहित
5. पारसमल पुत्र सवा के का.मु.–
   5/1 दाड़मीदेवी पत्नि पारसमल
   5/2 अमृतकुमार पुत्र पारसमल
   5/3 रिकूदेवी पुत्री पारसमल
   5/4 प्रवीणा पुत्री पारसमल
6. अशोक कुमार पुत्र सवा जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।
7. हडमतसिंह पुत्र चमना, जाति पुरोहित
8. दूदसिंह पुत्र चमना के का.मु.–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

8/1 मांगीदेवी पत्नि दूदसिंह
8/2 सुरेशकुमार पुत्र दूदसिंह
8/3 दिनेशकुमार पुत्र दूदसिंह
8/4 गणपत पुत्र दूदसिंह
8/5 कृष्णादेवी पुत्री दूदसिंह
8/6 नेनादेवी पुत्री दूदसिंह, जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।

9. पुष्पादेवी पत्नि बलवंतसिंह
10. रूद्र पुत्र बलवंतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नि बलवंतसिंह
11. जोगाराम पुत्र तारा, जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, तहसील सायला जिला जालोर।
12. भूमिधारी तहसीलदार सायला जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान ढेली वगैरह बनाम रिखबचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023</u>

<u>पैरोकार</u>–
1. श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, श्री कार्तिक दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री मुकेशसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 23.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान ढेली वगैरह बनाम रिखबचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में म्यूटेशन अपीलों का हवाला देकर यह लिखा है कि नामान्तरण अपीलों का निर्णय अन्तिम निर्णय हो चुका है जबकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया है उससे खातेदार राईट्स तय नहीं किये जा सकते। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 का मौके पर कहीं भी कब्जा नहीं हैं, न आज भी कब्जा काश्त है, रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपनी जिरह में यह बताया कि कब्जे की मुझे जानकारी नहीं हैं। पानी नहीं होने से एक दो बार फसल बोई थीं, कब बोई, कैसे बोई इसका कोई स्पष्ट हवाला नहीं हैं। न ही कब्जे काश्त बाबत् कोई पड़ोसी खातेदारों के बयान है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित किया है। इसके साथ ही वादीगण ने अपना वाद बखूबी सबित किया एवं वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित होने बाबत् दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य करवायी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील करने में भारी भूल की हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी से बेचान करने की धमकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दी, तब अपीलान्ट वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया एवं वाद अपीलान्ट के आम मुख्त्यार आसाराम पुत्र समाराम पुरोहित निवासी थलवाड ने प्रस्तुत किया था एवं अपीलान्ट समय-समय पर बयान देने हेतु जब भी मुख्त्यारनामा आसाराम द्वारा बुलाने पर जाते रहते थें। परन्तु आसाराम फरवरी 2023 में बीमार हो जाने से व हिमिप्लेग्रा बीमारी से ग्रसित हो गया है जो भीनमाल भुपेन्द्र हॉस्पीटल एवं राजस्थान हॉस्पीटल आदि जगहों पर अपना ईलाज करवाता रहा, ईलाज में व्यस्त रहा, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023 की जानकारी न तो अपीलान्ट के मुख्त्यार आम को थीं, न ही अपीलान्ट को, अपीलान्ट को दिनांक 15.08.2023 को जब रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने धमकी दी कि दावा भी तुम्हारा खारिज हो चुका है। इस कारण वादग्रस्त आराजी का कब्जा जबदरन ले लेगा या आराजी का गुण्डा तत्वों को बेचानकर देंगे तब दिनांक 16.08.2023 को अपीलान्ट ने सायला सहायक कलक्टर के यहा निर्णय व डिक्री की अपीले मांगी जो उन्हें उसी रोज यानि 16.8.23 को ही मिल गई निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व नकले मिलने से अपीलान्ट की जमीन अन्दर म्याद शुमार फरमायी जावे। अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का पृथक से प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है जिससे अपील अन्दर म्याद शुमार फरमायी जावे।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पति व पिता केसा के पिता बादरा की खातेदारी आराजी होने से पैतृक-पुश्तैनी आराजी होने तथा वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक, हिस्सा जन्म से निहित होने एवं बेचाननामा दिनांक 22.11.2003 वादीगण के विरूद्ध आरंभतः शून्य होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान की साक्ष्य समायत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी से बेचान करने की धमकी दी, तब अपीलान्ट वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया एवं वाद अपीलान्ट के आम मुख्त्यार आसाराम पुत्र समाराम पुरोहित निवासी थलवाड ने प्रस्तुत किया था एवं अपीलान्ट समय–समय पर बयान देने हेतु जब भी मुख्त्यारनामा आसाराम द्वारा बुलाने पर जाते रहते थें। परन्तु आसाराम फरवरी 2023 में बीमार हो जाने से व हिमिप्लेग्रा बीमारी से ग्रसित हो गया है जो भीनमाल भुपेन्द्र हॉस्पीटल एवं राजस्थान हॉस्पीटल आदि जगहों पर अपना ईलाज करवाता रहा, ईलाज मे व्यस्त रहा, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023 की जानकारी न तो अपीलान्ट के मुख्त्यार आम को थीं, न ही अपीलान्ट को, अपीलान्ट को दिनांक 15.08.2023 को जब रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने धमकी दी कि दावा भी तुम्हारा खारिज हो चुका है। इस कारण वादग्रस्त आराजी का कब्जा जबदरन ले लेगा या आराजी का गुण्डा तत्वों को बेचानकर देंगे तब दिनांक 16.08.2023 को अपीलान्ट ने सायला सहायक कलक्टर के यहा निर्णय व डिक्री की अपीले मांगी जो उन्हें उसी रोज यानि 16.8.23 को ही मिल गई निर्णय व डिक्री की जानकारी होने व नकले मिलने से अपीलान्ट की जमीन अन्दर म्याद शुमार फरमायी जावे।

3. हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंबकाल अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं, साथ ही प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। अतः प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए निर्णित व डिक्री किया गया है। अतः विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन अपेक्षित है। जो निम्नानुसार है:–

(1) विवाद्यक संख्या 1 – आया सरहद मौजा सायला में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1320, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 व 1850 वादीगण के लिए पुश्तैनी होने से घोषित करवाने के अधिकारी है ? .... जिम्मे वादीगण।

उक्त विवाद्यक वादीगण अपीलांट्स के जिम्मे थें। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक अपने इस अभिमत के साथ कि "वादीगण अपने आप को केसाजी के वारिसान होना किसी भी प्रलेखीय साक्ष्य से साबित नहीं किया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण केसाजी के वारिसान है। वादीगण ने

Scanned with OKEN Scanner

केसाजी के जीवनकाल में ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई जिससे वादग्रस्त आराजी में उनका कोई कथित हिस्सा साबित होता हो एवं वादीगण द्वारा नामांतरण संख्या 375 व 376 के विरूद्ध अपीलें भी उनके विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जो सक्षम न्यायालय द्वारा वादीगण के विरूद्ध दिनांक 25.02.2016 को निर्णित की जा चुकी है। जिसके खिलाफ वादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। जिससे उक्त दोनों नामांतरण के निर्णय अंतिम हो चुके हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केसा के बजाय मूलचंद व रिखबचंद बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा केसा वल्द बादरा के द्वारा करवाए गए पंजीबद्ध दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई हैं। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने कथित हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी नहीं हैं", के साथ उक्त विवाद्यक बखूबी साबित नहीं होना अंकित करते हुए वादीगण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया गया।

हमारे विनम्र मत में अपीलांट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी बादरा पुत्र माना की खातेदारी आराजी होने, बादरा की मृत्यु उपरांत बतौर वारिसान केसा, तारा, सवा व चमना के नाम दर्ज होने एवं वादीगण केसा पुत्र बादरा के वारिसान होने एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होने, वादग्रस्त आराजीयात केसा पुत्र बादरा की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होकर पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में पुश्तैनी हक व अधिकार निहित होने एवं केसा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया बेचान वादीगण के हक, हिस्से के विरूद्ध आरंभतः शून्य होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में अपने पूर्वज बादरा का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान का खण्डन नहीं कर इसे वादीगण द्वारा साबित किये जाने की अपेक्षा की। वहीं प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जवाबदावा में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित सजरा खानदान की पुष्टि की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाबदावा के पैरा संख्या 8 में यह अंकित किया कि "वादी के पति व पिता केसाजी के जीवनकाल में वादीगण द्वारा अपने हक, हिस्से बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष नहीं करना वादीगण की सहमति दर्शाता है।" अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण केसाजी के वारिस होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया है एवं न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। जिससे स्पष्ट हो कि वादीगण केसाजी के वारिसान नहीं हों। साथ ही साक्ष्य वादी में गवाह वादिया हेलीदेवी पीडब्ल्यू 1, वादिया पोनीदेवी पीडब्ल्यू 2, वादिया बदामीदेवी पीडब्ल्यू 3 में बतौर जिरह की गई स्वीकारोक्ति एवं प्रतिवादी साक्ष्य में प्रस्तुत प्रदर्श डी 1 व डी 2 न्यायालय उपखंड अधिकारी सायला द्वारा नामांतरण अपील संख्या 05/2012 पोनीदेवी वगैरह बनाम मूलचंद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 एवं प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि वादीगण केसाजी के वारिस है। अतः इस संबंध में कोई विवाद व संदेह नहीं हैं कि वादीगण संख्या 1 केसाजी की पत्नि तथा वादी संख्या 2 से 4 केसाजी के पुत्र एवं वादी संख्या 5 से 7 केसाजी की पुत्रियां हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेप व विनिश्चय स्वीकार योग्य नहीं हैं।

वादीगण द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी संवत 2020 से 2023, प्रदर्श पी 2 खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028, प्रदर्श पी 3 जमाबंदी संवत 2012 से 2015, प्रदर्श पी 4 संवत 2028 से 2031, पी 5 संवत 2024 से 2028, पी 6 संवत 2030 से 2034, पी 7 संवत 2044 से 2047, पी 8 संवत 2035 से 2038, प्रदर्श पी 9 संवत 2070 से 2073 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 10 है।

प्रतिवादीगण द्वारा बतौर साक्ष्य प्रदर्श डी 1 व डी 2 न्यायालय उपखंड अधिकारी सायला द्वारा नामांतरण अपील संख्या 05/2012 पोनीदेवी वगैरह बनाम मूलचंद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की प्रति एवं पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 22.11.2003 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 18.06.2005 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2009 से बादरा वल्द माला के नाम खुदकाश्त खातेदारी आराजी रही हैं। बादरा वल्द माला वादी संख्या 1 का ससुर तथा दीगर वादीगण का दादा था। उक्त आराजी बाद में विरासत से बादरा के पुत्रगण केसा, तारा, सवा व चमना के नाम दर्ज हुई। बादरा का पुत्र केसा वादी संख्या 1 का पति व शेष वादीगण का पिता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात केसा की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर केसा को अपने पिता से बतौर उत्तराधिकार विरासत में प्राप्त पैतृक आराजी है। केसा द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हक, हिस्से की संपूर्ण वादग्रस्त आराजीयात का पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिखबचंद व मूलचंद को 1/2-1/2 हिस्सा अंतरित कर दिया गया। अतः यहां यह सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात विक्रेता केसा की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर उसे अपने पिता से बतौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराधिकार प्राप्त पैतृक आराजी थीं। जिसका केसा द्वारा अपने जीवनकाल में अंतरण किया गया। यहां यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि केसा द्वारा अंतरित वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित था या नहीं ? तथा क्या केसा उक्त संपूर्ण आराजीयात को अंतरित करने के लिए सक्षम था या नहीं ? तथा क्या उक्त अंतरण वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध आरंभतः शून्य है या नहीं ? तथा क्या वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है या नहीं ?

सहदायिक संपत्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Angaadi chandrana vs Shankar and others judgment dated 22.04.2025 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"15 – With regard to co-parcenary property the principal let down by this court in rohit chouhan vs surinder singh and others would be relevant as follows-

"11..... In our opinion co-parcenary property means the property which consists of ancestral property and a co-parcenar would mean a person who shares equally with others in inheritance in the estate of common ancestar. Co-parcenary is a narrower body than the joint hindu family and before the commencement of hindu succession (Ammendment) act 2005, only male members of the family used to aquire by birth and interst in the co-parcenary property. A co-parcenar has no definite share in the co-parcenary property but he has an undevided interest in it and one has to bear in mind that it and large by deaths and diminishes by births in the family. It is not static we are further of the opinion that so long, on partition an ancestral property remains in the hand of a single person, it has to be treated as a separate property and such a person shall be entitled to dispose of the co-parcenary property treating it to be his separate property.

राजस्व अपील प्राधिकारी

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2020 द्वारा सहदायिक संपत्ति एवं सहदायिकों के अधिकार के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

129. Resultantly, we answer the reference as under:

1. The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

2. The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9-9-2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004.

3. Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9-9-2005.

4. The statutory fiction of partition created by proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of Class as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.

5. In view of the rigor of provisions of Explanation to Section 6(5) of the Act of 1956] a plea of oral partition cannot be

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected outrightly.

अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक, पुश्तैनी तथा सहदायिक संपत्ति है। हमारे विनम्र मत में चूंकि यह सुस्पष्ट है कि केसा द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात का अंतरण किया गया तथा वादी संख्या 1 ढेलीदेवी केसा की पत्नि है तथा पत्नि को पति के जीवनकाल में पति द्वारा धारित पैतृक सहदायिक संपत्तियों में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः वादी संख्या 1 ढेलीदेवी का केसा के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात में कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं हो सकते। अतः वादी संख्या 1 ढेलीदेवी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं हैं। दीगर वादीगण संख्या 2 से 7 केसा के पुत्र व पुत्रियां है, इसके साथ ही वादिया ढेलीदेवी द्वारा अपनी गवाह पीडब्ल्यू 1 में यह स्वीकार करती हैं कि उसके चार पुत्रियां क्रमशः पोनीदेवी, दरियादेवी, बदामीदेवी व सूरजदेवी है। दरियादेवी द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य में डीडब्ल्यू 3 में यह स्वीकार किया गया है कि वह केसाजी की पुत्री हैं तथा दादा बादराजी की पौत्री हैं। अतः स्पष्ट है कि केसा के तीन पुत्र व चार पुत्रियां अर्थात कुल 7 संतान है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अंतर्गत पिता द्वारा धारित सहदायिक संपत्तियों में पुत्र व पुत्रियों का सहदायिक के अंश के रूप में पिता के समान अधिकार निहित होता है। केसा पुत्र बादरा के सजरा खानदान के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.2003 को केसा के साथ सहदायिक के रूप में पुत्र जब्बरसिंह, रमेशकुमार, भंवरलाल एवं पुत्रियां पोनीदेवी, बदामीदेवी, दरियादेवी व सूरजदेवी थीं। अर्थात कुल 8 सहदायिक सदस्य थें। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त सहदायिक आराजी में केसा समेत प्रत्येक सहदायिक का एक समान 1/8 – 1/8 हिस्सा निहित था। केसा संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा धारित संपत्ति का मुखिया होने के नाते भू–अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज था। अविभाजित हिंदू परिवार द्वारा धारित सहदायिक संपत्ति को परिवार के

राजस्व अपील प्राधिकारी

कर्ता द्वारा ऐसी संपूर्ण आराजी का केवल आपातकालीन स्थिति, कुटुम्ब की आवश्यकता एवं परमार्थ प्रयोजन से ही अंतरण किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय-विलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि केसा द्वारा वक्त अंतरण केसा की उम्र 60 वर्ष दर्ज है तथा दोनों विक्रय-विलेख में विक्रेता केसा द्वारा यह अंकित किया गया है कि *"मुझे मेरी जायज जरूरतों हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से आप खरीददारों को मेरी सामलाती के खसरा नंबर 1802 से 1808 व 1850 की आराजी में मेरे हिस्से की 1/4 हिस्सा आराजी में से आधी आराजी अर्थात मेरे हिस्से की आराजी में से 1/2 आराजी का बेचान तथा खसरा नंबर 1320 में मेरे हिस्से की 1/4 हिस्सा का संपूर्ण बेचान आप खरीददार को किया है।"* अतः स्पष्ट है कि विक्रेता केसा द्वारा अपनी स्वयं की जायज जरूरतों के लिए उसके द्वारा धारित पैतृक सहदायिक संपत्ति का अंतरण किया गया। जोकि कर्ता खानदान द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों, कुटुम्ब की आवश्यकता एवं परमार्थ प्रयोजन से किया गया अंतरण नहीं हैं तथा ऐसी स्थिति में केसा को अपने 1/8 हिस्से से अधिक एवं शेष सहदायिकों वादीगण के जन्म से निहित 1/8 – 1/8 हिस्से की संपूर्ण पैतृक सहदायिक संपत्ति का किया गया अंतरण शेष सहदायिकों के हक, हिस्से की सीमा तक आरंभतः शून्य था। चूंकि केसा की वारिस पुत्री दरियादेवी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि दरियादेवी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी गवाह के रूप में डीडब्ल्यू 3 एवं दरियादेवी के पति चंपालाल पुत्र जसाजी प्रतिवादी गवाह डीडब्ल्यू 4 द्वारा वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बयान दिए हैं तथा केसाजी द्वारा किए गए बेचान से उनकी सहमति होना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में दरियादेवी के हिस्से को लेकर कोई विवाद शेष नहीं रह जाता है। लिहाजा, ऐसी स्थिति में अपीलांट संख्या 2 से 7 प्रत्येक वादीगण का केसाजी के नाम दर्ज रही वादग्रस्त पैतृक सहदायिक आराजीयात में जन्म से 1/8 – 1/8 हिस्से के खातेदारी अधिकार निहित है। जिन्हें उक्त वादीगण अपीलांट घोषित करवाने के अधिकारी हैं तथा इस संबंध में चूंकि वादीगण के जन्म से निहित हक, हिस्से की सीमा तक केसाजी द्वारा किया गया अंतरण आरंभतः शून्य है। अतः उक्त पंजीकृत विक्रय-विलेख को शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं हैं। साथ ही इस संबंध में उक्त दोनों पंजीकृत विक्रय-विलेख के आधार पर स्वीकृत नामांतरण के विरूद्ध की गई नामांतरण अपील खारिज होने तथा उसके विरूद्ध कोई अन्य अपील नहीं करने से पक्षकारान द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने व अनुतोष प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध या विधिक वर्जना आरोपित नहीं हो सकती। क्योंकि दोनों पृथक-पृथक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाहियां है तथा नामांतरण महज एक वित्तीय प्रयोजन से की गई प्रविष्टि मात्र होती हैं। जिससे न तो खातेदारी अधिकार सृजित हो सकते हैं व नहीं समाप्त हो सकते हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं पारित अभिमत विधिक प्रावधानों व उनकी संगत विवेचना के विपरीत है। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक बखूबी साबित होने व इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत पुष्टि योग्य नहीं होने से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवेचन व निर्णयन अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादी संख्या 2 से 7 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(2) विवाद्यक संख्या 2 – आया उक्त आराजी पर कब्जा व काश्त वादीगण का है ?. .... जिम्मे वादीगण।

उक्त विवाद्यक वादीगण के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर इसे वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। चूंकि विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी संख्या 2 से 7 व विक्रेता केसा की अविभाजित पैतृक सहदायिक आराजी हैं। जिसमें प्रत्येक सहदायिक का जन्म से अपना हिस्सा निहित है। केसाजी द्वारा किए गए बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरण से भू–अभिलेख में क्रेता का नाम दर्ज हो जाने मात्र से वादग्रस्त आराजीयात पर क्रेता का कब्जाकाश्त होना या वादीगण का कब्जाकाश्त नहीं होना साबित नहीं हो सकता। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक हिस्सेदार का अपने अंश की सीमा तक कब्जाकाश्त माना जाता है। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण संख्या 2 से 7 के अंश तक उनके पक्ष में साबित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी संख्या 2 से 7 की सीमा तक आंशिक रूप से उक्त वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(3) विवाद्यक संख्या 3 – आया प्रतिवादी संख्या (1) सद्भावी क्रेता है तथा मौके पर काबिज काश्त है ? .... जिम्मे प्रतिवादी।

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रवितादी संख्या 1 व 2 की थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 22.11.2003 एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बतौर सहखातेदार दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में पूर्व निर्णित व विवेचित विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन व निर्णयन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी

आराजीयात अविभाजित पैतृक सहदायिक आराजी है तथा केसाजी द्वारा अपने हिस्से से अधिक व वादी संख्या 2 से 7 के हक, हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किया गया पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 22.11.2003 वादी संख्या 2 से 7 के हक, हिस्से तक आरंभतः शून्य है तथा ऐसे विलेख के आधार पर नामांतरण स्वीकृत होने तथा जमाबंदी में बतौर क्रेता सहखातेदार दर्ज होने से वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो सकते एवं न ही क्रेता को सद्भावी माना जा सकता है एवं न ही संपूर्ण आराजीयात पर क्रेता का कब्जा माना जा सकता है। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन व विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के आलोक में हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिनुरूप नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात वादीगण अपीलांट संख्या 2 से 7 एवं केसाजी की अविभाजित पैतृक सहदायिक आराजी होने तथा केसाजी द्वारा धारित हक, हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात में वादी संख्या 2 से 7 प्रत्येक का जन्म से 1/8 – 1/8 हिस्से के खातेदारी अधिकार निहित होना साबित होने व वादी संख्या 2 से 7 अपने उक्त निहित 1/8 – 1/8 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होना बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट व वादपत्र बखूबी साबित होता है। लिहाजा, अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वादी संख्या 2 से 7 को वादग्रस्त आराजीयात में से रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजीयात में से प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाना एवं शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान ढेली वगैरह बनाम रिखबचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किया जाकर वाद वादीगण बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सायला तहसील सायला जिला जालोर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा संख्या 1320, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 व 1850 में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 1 व 2 दोनों के नाम दर्ज कुल हिस्सा **1/8 + 1/8** = 1/4 में से वादी संख्या 2 से 7 प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष हिस्सा रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम समान हिस्से में दर्ज रहेगा। भू–अभिलेख की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमल दरामद किया जावें। वादपत्र इसी अनुरूप डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 45/2023 G.C.M.S. No. 2023/252 दर्ज दिनांक : 08.09.2023

अपीलार्थीः

1. ढेलीदेवी पत्नि केसा उम्र 69 वर्ष
2. जब्बरसिंह पुत्र केसा के का.मु.–
   2/1 झीणीदेवी पत्नि जब्बरसिंह
   2/2 ईश्वर पुत्र जब्बरसिंह
   2/3 संगीता पुत्री जब्बरसिंह
   2/4 शीतल पुत्री जब्बरसिंह
3. रमेशकुमार पुत्र केसा
4. उत्तमसिंह पुत्र भंवरलाल जातियान पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।
5. पोनी पुत्री केसा पत्नि भोपजी, उम्र 50 वर्ष जाति पुरोहित, निवासी सायला, जिला जालोर।
6. बदामीदेवी पुत्री केसा पत्नि चेनाजी, उम्र 45 वर्ष, जाति पुरोहित निवासी सायला हाल थलवाड़ तहसील सायला जिला जालोर।
7. सूरजदेवी पुत्री केसा पत्नि चेलाराम, उम्र 43 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीः

1. रिकबचंद पुत्र भूरमल जाति सोनी निवासी सायला के का.मु.–
   1/1 पवनीदेवी पत्नि रिकबचंद
   1/2 नरेश पुत्र रिकबचंद
   1/3 प्रकाश पुत्र रिकबचंद
   1/4 ललित पुत्र रिकबचंद
   1/5 कमलेश पुत्र रिकबचंद
   1/6 नीतू पुत्री रिकबचंद
   1/7 निरमा पुत्री रिकबचंद
   1/8 मनीषा पुत्री रिकबचंद
2. मूलचंद पुत्र भूरमल जाति सोनी निवासी सायला जिला जालोर।
3. मथरादेवी पत्नि सवा जाति पुरोहित
4. मदनलाल पुत्र सवा जाति पुरोहित
5. पारसमल पुत्र सवा के का.मु.–
   5/1 दाड़मीदेवी पत्नि पारसमल
   5/2 अमृतकुमार पुत्र पारसमल
   5/3 रिकूदेवी पुत्री पारसमल
   5/4 प्रवीणा पुत्री पारसमल
6. अशोक कुमार पुत्र सवा जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

7. हडमतसिंह पुत्र चमना, जाति पुरोहित
8. दूदसिंह पुत्र चमना के का.मु.–
   8/1 मांगीदेवी पत्नि दूदसिंह
   8/2 सुरेशकुमार पुत्र दूदसिंह
   8/3 दिनेशकुमार पुत्र दूदसिंह
   8/4 गणपत पुत्र दूदसिंह
   8/5 कृष्णादेवी पुत्री दूदसिंह
   8/6 नेनादेवी पुत्री दूदसिंह, जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, जिला जालोर।
9. पुष्पादेवी पत्नि बलवंतसिंह
10. रूद्र पुत्र बलवंतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पुष्पादेवी पत्नि बलवंतसिंह
11. जोगाराम पुत्र तारा, जातिगण पुरोहित, निवासीगण सायला, तहसील सायला जिला जालोर।
12. भूमिधारी तहसीलदार सायला जिला जालोर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान ढेली वगैरह बनाम रिखबचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, श्री कार्तिक दवे विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री निखिल दवे, श्री मुकेशसिंह विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2020 बअनवान ढेली वगैरह बनाम रिखबचंद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2023 को अपास्त किया जाकर वाद वादीगण बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सायला तहसील सायला जिला जालोर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा संख्या 1320, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 व 1850 में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनों के नाम दर्ज कुल हिस्सा **1/8 + 1/8 = 1/4** में से वादी संख्या 2 से 7 प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष हिस्सा रेस्पोंडेंट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम समान हिस्से में दर्ज रहेगा। भू–अभिलेख की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमल

राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible]

दरामद किया जावें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 23.01.2026 को जारी किया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मुहर अदालत

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner